उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण अपील वाद सं0 01/16–17

रियासत अंसारी ..... अपीलकर्त्ता

बनाम

सरकार ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

27/07/2016

यह अधिहरण वाद सं0 01/16–17 रियासत अंसारी बनाम् सरकार के बीच वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका के अधिहरण वाद सं0 10/2011 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के वाहन टाटा 207 RXDI Pick-up van अनिबंधित ईंजन नं0 497SP38HYY 640619 चेचिस नं0 MAT 478012B9H24437 एवं उसमें लदे 38 (अड़तीस) नग जामुन प्रजाति के ताजा हरा काष्ठ को वन कर्मचारियों द्वारा भारतीय वन (बिहार संशोधन 1989) अधिनियम 1927 की धारा 33, 41, 42 एवं 52 के अन्तर्गत जब्त किया गया तथा प्राधिकृत पदाधिकारी सह वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका को जब्त वाहन एवं उसपर लदे वन सम्पदा को भारतीय वन (बिहार संशोधन 1989) अधिनियम 1927की धारा 52 के अन्तर्गत राज्यसात की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया।

तत्पश्चात अपीलकर्त्ता को कारण–पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया एवं उनके ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा मोहन हेम्ब्रम पिता स्व पिचू हेम्ब्रम सा0 हेमन्तपुर, थाना जामा के रैयती प्लॉट दाग सं0 162 से अंचल अधिकारी, जामा के द्वारा प्राप्त आदेश के तहत् जामुन के लकड़ी को काटकर ले जा रहा था। अतः केस को समाप्त कर वाहन को मुक्त किया जाय। निम्न न्यायालय में जमाबन्दी रैयत मोहन हेम्ब्रम पिता स्व0 पिचू हेम्ब्रम सा0 हेमन्तपुर द्वारा भी आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया गया कि जब्त जामुन की लकड़ी उनकी जमाबन्दी जमींन दाग सं0 162 पर स्थित वृक्ष है जिसको अंचल अधिकारी द्वारा रैयती प्रमाण पत्र निर्गत है। मोहन हेम्ब्रम द्वारा उक्त जामुन लकड़ी को अंचल अधिकारी के रैयती प्रमाण–पत्र के साथ चिरवाने हेतु उक्त जब्त वाहन में लोडकर भाड़ा पर दुमका नीजी घरेलू कार्य हेतु ले जा रहा था। उन्होंने उक्त लकड़ी को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु वन विभाग द्वारा वृक्षों का पातन एवं परिवहन करने का कोई आदेश रैयत एवं वाहन स्वामी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था फलतः

उक्त जामुन की लकड़ी को वाहन सहित जब्त कर अधिहरण हेतु आदेश पारित किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जब्त जामुन की लकड़ी जमाबन्दी जमीन पर स्थित जमाबन्दी रैयत मोहन हेम्ब्रम पिता स्व0 पिचू हेम्ब्रम सा0 हेमन्तपुर का प्रतीत होता है। उन्हें अंचल अधिकारी द्वारा रैयती प्रमाण–पत्र भी निर्गत है किन्तु उनके द्वारा वृक्षों का पातन एवं परिवहन करने का कोई आदेश वन विभाग द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था जो भारतीय वन (बिहार संशोधन 1989) अधिनियम 1927 की धारा 41 एवं 42 के तहत् बिना वन प्रमंडल पदाधिकारी के विभागीय आदेश के अन्तर्गत वन पदार्थो का परिवहन करना वन अपराध है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

D.D.N. 318
31/8/16

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.16 15:32:57 +05:30
Location: 169.254.227.244